



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072020-220515
CG-DL-E-14072020-220515

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2042]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/ आषाढ़ 22, 1942

No. 2042]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASHADHA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

का.आ. 2315(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 547- ई के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 33.000 साओनेर-धापेवाडा-कलमेष्वर- गोंडखैरी खण्ड, तक के भू-खण्ड जिसमें बाईपास, यदि कोई हो, का निर्माण करना शामिल है, के निर्माण (चैडा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिलाधिकारी भूसंपादन (सामान्य) नागपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जाच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 547-ई के कि.मी 0.000 से 33.000 तक (सावनेर-धापेवाडा-कलमेश्वर-गोंडखैरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम : महाराष्ट्र		जिले का नाम : नागपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम : कलमेश्वर					
गांव का नाम : ब्राम्हनी					
1	49 .	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
2	50 .	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
गांव का नाम: बोरगांव (बु.)					
1	7/2	सरकारी(महाराष्ट्र सरकार)	आबादी	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
गांव का नाम: चिंचभुवन					
1	8/1	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
गांव का नाम: खपरी					
1	48/2	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0408500(हेक्टेयर)	0.0408500
गांव का नाम: सावंगी					
1	113/1	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
गांव का नाम: वरोड़ा					
1	176/1	सरकारी(सरकार पी.डब्लु.डी.)	एग्रीकल्चर	3.1200000(हेक्टेयर)	3.1200000
2	177/1	सरकारी(सरकार पी.डब्लु.डी.)	एग्रीकल्चर	2.4600000(हेक्टेयर)	2.4600000
तालुक का नाम: सावनेर					
गांव का नाम: उमरी (रिठी)					
1	2/15	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0294000(हेक्टेयर)	0.0294000
2	2/16	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0273000(हेक्टेयर)	0.0273000
3	2/17	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0268000(हेक्टेयर)	0.0268000
4	2/18	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0232000(हेक्टेयर)	0.0232000

5	2/19	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0216000(हेक्टेयर)	0.0216000
6	2/20	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0211000(हेक्टेयर)	0.0211000
7	2/21	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0204000(हेक्टेयर)	0.0204000
8	2/22	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0184000(हेक्टेयर)	0.0184000
9	2/23	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0184000(हेक्टेयर)	0.0184000
10	2/24	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0184000(हेक्टेयर)	0.0184000
11	2/25	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0184000(हेक्टेयर)	0.0184000
12	2/26	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
13	2/27	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0049000(हेक्टेयर)	0.0049000
14	2/28	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0024000(हेक्टेयर)	0.0024000
15	2/34	निजी(क्लास १)	नॉन - एग्रीकल्चर	0.0058000(हेक्टेयर)	0.0058000
कुल				6.4630	6.4630

[फा. सं. NH-12037/84/2015-MAH-2/3A5]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

S.O. 2315(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 547-E including construction of bypass, if any, in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 33.000 on Saoner–Dhapewada-Kalmeshwar-Gondkhairi Section in the district of Nagpur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector Land Acquisition (General) Nagpur, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 33.000 (Saoner- Dhapewada-Kalmeshwar-Gondkhairi Section) on the National Highway No. 547-E in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: NAGPUR					
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalameshwar					
Village: Bamhni (CT)					
1	49 .	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.2000000(Hectare)	0.2000000
2	50 .	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.2000000(Hectare)	0.2000000
Village: Borgaon bk.					
1	7/2	Government(Government of Maharashtra)	Abadi	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Village: Chinchbhuwan					
1	8/1	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0126000(Hectare)	0.0126000
Village: Khapari					
1	48/2	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0408500(Hectare)	0.0408500
Village: Sawangi					
1	113/1	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.0600000(Hectare)	0.0600000
Village: Waroda					
1	176/1	Government(Government PWD)	AGRICULTURE	3.1200000(Hectare)	3.1200000
2	177/1	Government(Government PWD)	AGRICULTURE	2.4600000(Hectare)	2.4600000
Taluk: Saoner					
Village: Umari (Rithi)					
1	2/15	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0294000(Hectare)	0.0294000
2	2/16	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0273000(Hectare)	0.0273000
3	2/17	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0268000(Hectare)	0.0268000
4	2/18	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0232000(Hectare)	0.0232000

5	2/19	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0216000(Hectare)	0.0216000
6	2/20	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0211000(Hectare)	0.0211000
7	2/21	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0204000(Hectare)	0.0204000
8	2/22	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0184000(Hectare)	0.0184000
9	2/23	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0184000(Hectare)	0.0184000
10	2/24	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0184000(Hectare)	0.0184000
11	2/25	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0184000(Hectare)	0.0184000
12	2/26	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0130000(Hectare)	0.0130000
13	2/27	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0049000(Hectare)	0.0049000
14	2/28	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0024000(Hectare)	0.0024000
15	2/34	Private(CLASS 1)	NON - AGRICULTURE	0.0058000(Hectare)	0.0058000
Total				6.4630	6.4630

[F. No. NH-12037/84/2015-MAH-2/3A5]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.